



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25120-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1896 वर्ष 1985

अशोक और अन्य

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता

: कमल कृष्ण, मदन सिंह

प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता

: ए.जी.ए.

न्यायालय संख्या - 48

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह,

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I,

1. दिनांक 16.01.2026 के आदेश के अनुपालन में, श्री आशीष तिवारी, विद्वान ए.जी.ए. को निर्देश प्राप्त हो गए हैं। उक्त निर्देश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें अभिलेख पर लिया जाता है।
2. निर्देशों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता संख्या 3, जिसका नाम सैकु पटेल पुत्र राम प्रसाद पटेल उर्फ ननका है, की मृत्यु दिनांक 06.01.2026 को हो गई है।
3. उपर्युक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता संख्या 3 सैकु पटेल के संबंध में यह आपराधिक अपील उपशमित मानी जाती है।
4. इस न्यायालय की समन्वय-पीठ द्वारा पारित दिनांक 10.08.2018 के आदेश के माध्यम से, अपीलकर्ता संख्या 1 और 2, जिनका नाम अशोक और मल्लू है, के संबंध में यह आपराधिक अपील पहले ही उपशमित की जा चुकी थी।
5. तदनुसार, यह आपराधिक अपील समस्त अपीलकर्ताओं के संबंध में उपशमित मानी जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5 फरवरी, 2026

सौरभ

(न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I) (न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”